



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022026-269760  
CG-DL-E-01022026-269760

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86]

नई दिल्ली, रविवार, फरवरी 1, 2026/माघ 12, 1947

No. 86]

NEW DELHI, SUNDAY, FEBRUARY 1, 2026/MAGHA 12, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2026

सं. 04/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 91(अ).— केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 03/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 जिसे सा.का.नि. संख्या 955 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में,

(i) क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थातः :-

(1)	(2)	(3)	(4)
“1.	2401	अविनिर्मित तंबाकू या तंबाकू अपशिष्ट, जिसपे कोई ब्रांड का नाम ना हो और वह रीटेल सेल के लिए पैक ना हो	शून्य”;

(ii) क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः :-

(1)	(2)	(3)	(4)
“1क.	2401	अविनिर्मित तंबाकू या तंबाकू अपशिष्ट, ऊपर दिए गए क्रम सं.1 के अलावा	18%”।

[फा. सं. सी.बी.आई.सी.-190349/72/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

**टिप्पणी:-**—मूल अधिसूचना संख्या 03/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 को सा.का.नी. संख्या 955(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

### MINISTRY OF FINANCE

#### (Department of Revenue)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2026

#### No. 04/2026-Central Excise

**G.S.R. 91(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as the Excise Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 03/2025-Central Excise, dated the 31<sup>st</sup> December, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 955(E), dated the 31<sup>st</sup> December, 2025, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(i) For Sl. No. 1, and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“1.	2401	Unmanufactured tobacco or tobacco refuse, not bearing a brand name and not packed for retail sale	Nil”;

(ii) after Sl. No.1, the following serial number and entries relating thereto, shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“1A.	2401	Unmanufactured tobacco or tobacco refuse, other than Sl. No. 1 above	18%”.

[F. No. CBIC-190349/72/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification No. 03/2025-Central Excise, dated the 31<sup>st</sup> December, 2025, *vide* number G.S.R. 955(E), dated the 31<sup>st</sup> December, 2025.